बिहार सरकार
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

संख्या–स्था0(मु0)–1–601/2006/पार्ट–2 10 /सू0ज0स0वि0,पटना, दिनांक– 20-2-09

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, एतद् द्वारा बिहार सूचना इलेक्ट्रॉनिक अभियंता सेवा में भर्त्ती की पद्धति एवं सेवा–शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

अध्याय–1 : प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ** – (1) यह नियमावली बिहार सूचना इलेक्ट्रॉनिक अभियंता सेवा नियमावली, 2009 कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएँ** – इस नियमावली में, जब तक संदर्भ सें अन्यथा अपेक्षित न होः–
   (क) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;
   (ख) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
   (ग) 'विभाग' से अभिप्रेत है सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग;
   (घ) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;
   (ड.) 'सदस्य या सेवा के सदस्य' से अभिप्रेत है बिहार सूचना इलेक्ट्रॉनिक अभियंता सेवा में नियुक्त व्यक्ति; तथा
   (च) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है इस नियमावली में संलग्न अनुसूची।
   (छ) 'सेवा' से अभिप्रेत है बिहार सूचना इलेक्ट्रॉनिक अभियंता सेवा
3. **सेवा का गठन** – बिहार सूचना इलेक्ट्रॉनिक अभियंता सेवा के नाम से राज्य सेवा का गठन किया जायगा ।
4. **सेवा की संरचनाः–** यह सेवा सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के प्रशासी नियंत्रण में होगा।
   राज्य सरकार समय–समय पर इसके पद बल का निर्धारण करेगी और स्वीकृत पदों के अतिरिक्त इस सेवा के स्थाई/अस्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति दे सकेगी।
5. **पद स्थिति** – इस सेवा के सदस्य राजपत्रित होंगे।

अध्याय–2
भर्त्ती

6. **भर्त्ती का स्त्रोत** –
   अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस सेवा में भर्त्ती इस नियमावली के अध्याय–3 के अनुसार सीधी भर्त्ती द्वारा की जायेगी।
7. **रिक्तियों का निर्धारण एवं आयोग को सूचित करना** – विभाग प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और इस प्रकार परिगणित रिक्तियों के आधार पर सीधी भर्त्ती हेतु अधियाचना 30 अप्रील तक आयोग को भेजेगा।
8. **आरक्षण** – नियुक्ति एवं प्रोन्नति में समय–समय पर निर्धारित राज्य सरकार की आरक्षण नीति एवं रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

अध्याय–3
सीधी भर्त्ती

9. **आयोग के माध्यम से सीधी भर्त्ती –** आयोग विज्ञापन निकाल कर, आवेदन प्राप्त कर प्रतियोगिता परीक्षा अथवा/और अंतर्वीक्षा के आधार पर इस सेवा की मूल कोटि (सहायक इलेक्ट्रोनिक अभियंता) में भर्त्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर सकेगा।

10. **पात्रता –** इस सेवा की मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता अनुसूची–I के अनुसार होगी।

11. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा –** आयोग निर्धारित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा (बिहार अभियंत्रण सेवा) अथवा/और मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर एक मेधा सूची तैयार करेगा। ऐसी तैयार की गई सूची में से आयोग अभ्यर्थियों की उतनी संख्या की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा, जितनी संख्या में रिक्तियाँ अधियाचित की गई हों। आयोग से प्राप्त अनुशंसा मात्र एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

12. **चिकित्सा परीक्षा –** नियुक्ति के लिए चुने गये प्रत्येक अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड के समक्ष चिकित्सा–परीक्षा के लिए जाना होगा। पदीय कर्त्तव्यों को दक्षतापूर्वक निष्पादित करने की दृष्टि से जो अभ्यर्थी अपनी अपेक्षित शारीरिक योग्यता के संबंध में चिकित्सा बोर्ड को संतुष्ट करने में असफल होगा उसे नियुक्त नहीं किया जायेगा। चिकित्सा बोर्ड स्वयं इसके लिए वस्तुनिष्ठ मापदंड निर्धारित करेगा।

अध्याय–4
वरीयता एवं प्रशिक्षण

13. **वरीयता –** इस नियमावली के अधीन सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त किये गये सदस्यों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

14. **प्रशिक्षण –** इस सेवा के सदस्य को प्रशिक्षण के लिए राज्य में या राज्य से बाहर, विदेश में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए भेजा जा सकेगा। प्रशिक्षण की समाप्ति पर किए गए मूल्यांकन को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ध्यान में रखा जा सकेगा।

अध्याय–5
परिवीक्षा एवं सम्पुष्टि

15. **परिवीक्षा अवधि –**

(क) किसी मौलिक रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त पदाधिकारी का पदग्रहण की तिथि से दो वर्षो की अवधि तक की सेवा गणना परिवीक्षा के रूप में की जायेगी।

(ख) परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति के समय इस सेवा में भर्ती किये गये पदाधिकारी की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है, यदि उक्त पदाधिकारी की परिवीक्षा अवधि का कार्यकलाप संतोषजनक नहीं हो, अथवा अन्य कारण से इस सेवा में स्थाई नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हो।

16. **सम्पुष्टि –**

(क) परिवीक्षा पर नव नियुक्त पदाधिकारी को परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा सम्पुष्टि के लिए अन्यथा योग्य समझे जाने और बिहार अभियंत्रण सेवा (राजपत्रित पदाधिकारियों) के लिए निर्धारित विभागीय परीक्षा उतीर्ण होने पर सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

(ख) नव नियुक्त पदाधिकारी विभागीय परीक्षा में उतीर्ण होने पर प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि के बाद अगली वेतनवृद्धि प्राप्त कर सकेंगे।

अध्याय–6
वेतनमान एवं वेतनवृद्धि

17. **वेतनमान** –

(क) सहायक इलेक्ट्रोनिक अभियंता,
वेतनमान – 6500–10,500

(ख) इलेक्ट्रोनिक अभियंता
वेतनमान – 10000–15,200

बिहार सूचना इलेक्ट्रोनिक अभियन्ता सेवा के विभिन्न कोटि के पदों के वेतनमान अथवा तत्समान पुनरीक्षित वेतनमान राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित किए जायेंगे।

अध्याय–7
प्रोन्नति

18. बेसिक ग्रेड को छोड़कर अन्य सभी ग्रेड के लिए प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होगा।

विभागीय प्रोन्नति समिति निम्ननुसार होगाः–

(क)	सदस्य, राजस्व पर्षद–	अध्यक्ष
(ख)	सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग–	सदस्य
(ग)	सचिव खान एवं भूतत्व विभाग–	सदस्य
(घ)	सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग–	सदस्य
(ड.)	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत उप सचिव के स्तर से अन्यून अनुसूचित जाति/ जन जाति के एक पदाधिकारी–	सदस्य

अध्याय–8
सामान्य

19. **कार्यक्षेत्र संबंधी अनुबंध** – इस सेवा के सदस्य को कार्य के लिए सरकार के किसी भी विभाग के अधीन बिहार के अन्दर या बाहर किसी भी स्थान पर, पदस्थापित किया जा सकेगा।

20. **अन्य सेवा शर्त** – (क) इस सेवा के लिए अन्य सेवा–शर्तें यथा अनुशासनिक कार्रवाई, छूट्टी, देय सेवा निवृत्ति लाभ इत्यादि, जो इस नियमावली से आच्छादित नही हैं, या जो इस सेवा के लिए अलग से अधिसूचित नहीं है, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005, बिहार सेवा संहिता, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत नियमावली, आदेश तथा परिपत्रों में नियंत्रित होगी।

21. राज्य सरकार को इस नियमावली में विहित प्रावधानों को यथा अपेक्षित संशोधित करने का अधिकार होगा। प्रशासी विभाग इस नियमावली के प्रावधानों को कार्यरूप देने के लिए नियमावली के प्रावधान के अनुरूप प्रक्रिया विनियमावली द्वारा विहित कर सकेगी।

22. **निरसन एवं व्यावृत्ति**–

(1) इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से बिहार सूचना इलेक्ट्रोनिक अभियंता सेवा संबंधी नियुक्ति, प्रोन्नति संबंधी परिपत्र/ अनुदेश निरसित समझी जायेगी।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व की नियुक्ति/ प्रोन्नति संबंधी परिपत्र/ अनुदेश के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

(3) इस नियमावली के लागू होने की तिथि के पूर्व से बिहार सूचना इलेक्ट्रानिक अभियंता सेवा के विभिन्न पदों जैसा की नियम 17 में परिभाषित है, पर नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस सेवा में शामिल एवं इस नियमावली के अधीन नियुक्त समझे जायेंगे।

23. बिहार सूचना इलेक्ट्रानिक सेवा अभियंता नियमावली 2009 में प्राधिकृत समिति, वित्त विभाग, विधि विभाग एवं मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुसूची– I

बिहार सूचना इलेक्ट्रॉनिक अभियंता सेवा की मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) में भर्ती के लिए आवश्यक अर्हताएँः–

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक–अभियंत्रण में डिग्री या समकक्ष डिग्री/ इलेकट्रॉनिक एवं दूरसंचार अभियंत्रण में डिग्री/कम्प्यूटर अभियंत्रण में डिग्री।

अनुसूची– II

पदों की संरचना

(क) सहायक इलेक्ट्रोनिक अभियंता,
वेतनमान – 6500–10,500
पदों की संख्या – 2 (स्थायी) भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर
– 1 (अस्थायी) मुजफ्फरपुर

(ख) इलेक्ट्रोनिक अभियंता
वेतनमान – 10000–15,200
पदों की संख्या – 1 (मुख्यालय)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(राजेश भूषण)
सरकार के सचिव
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–.......72.......सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक– 20-2-09

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को नियमावली का दो हार्ड कौपी सी0डी0 सहित बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशन के लिए प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि उपर्युक्त बिहार गजट अंक की 100 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराया जाये।

सरकार के सचिव
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–.........72.........सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक– 20/2/09

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

सरकार के सचिव
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–.........72.........सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक– 20/2/09

प्रतिलिपि– सभी प्रधान सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

सरकार के सचिव
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–.........72.........सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक– 20/2/09

प्रतिलिपि– सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

सरकार के सचिव
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

छ्ग्रायी
क्र० 2409
दि०
20/2/09

बिहार सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

अ0सू0संख्या– स्था0(मु0)1–601/2006/पार्ट–2 ...11.../ सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक–20/2/09

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या– ...10..., दिनांक– ...20-2-2009... का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी में उसका प्राधिकृत 416 समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के सचिव
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

Government of Bihar
Information and Public Relations Department

Notification

No. स्था0(मु0)–1–601/2006/पार्ट–2 10 **Patna, Dated :** 20-2-09

The Governor of Bihar hereby makes Rules to regulate the recruitment process and service conditions of Bihar Information Electronic Engineering Service using the powers conferred in proviso to the Article 309 of Indian Constitution.

CHAPTER – I

Preliminary

1. **Short Title, Extent and Commencement**

   (i) These rules may be called Bihar Information Electronic Engineering Service Rules, 2009.
   (ii) It shall cover the whole of State of Bihar.
   (iii) It shall come into force with immediate effect.

2. **Definitions :-** In these rules unless repugnant to the context

a) "Governor" means the Governor of Bihar
b) "Government" means the Government of Bihar.
c) "Department" means/denotes Information and Public Relations Department
d) "Commission" means Bihar Public Service Commission.
e) "Member or members of service" mean the individuals appointed to the Bihar Information Electronic Engineering Service.
f) "Schedule" means Bihar Information Electronic Engineering Service.

3. Constitution of Service:-

The state service shall be constituted with the nomenclature "Bihar Information Electronic Engineering Service".

4. Structure of Service :-

This service shall be under the administrative control of Information and Public Relations Department. The State Government shall fix its official strength from time to time and may sanction creation of permanent/temporary posts of this service in addition to the already sanctioned posts.

5. The status of post :-

The members of this service shall be gazetted officers.

CHAPTER – 2

Recruitment

6. Source of Recruitment :-

Except otherwise provided the recruitment to this service shall be done through direct recruitment under Chapter III of this Rule.

7. Fixation of Vacancies and notifying the Commission :-

The Department shall calculate the number of vacancies according to the situation on 1st April of each year and send the requisition for direct recruitment on the basis of thus calculated vacancies to the commission by 30th April of each year.

8. Reservations :-

Compliance to the reservation policy prescribed by the state government from time to time and roster shall be necessary in appointment and promotion.

CHAPTER – 3

Direct Recruitment

9. Direct Recruitment through Commission :-

The Commission shall select the appropriate candidates for the basic grade (Assistant Electronic Engineer) of this service on the basis of publication of advertisement, acceptance of applications and competitive examination and/or interview.

10. Eligibility :-

The eligibility for appointment to the basic grade of this service shall be according to schedule-1.

11. Recommendation of Candidates by Commission :-

Commission will prepare a merit list of candidates on the basis of the prescribed written competition examination (Bihar Engineering service) and/or viva-voce and recommend such number of candidates to the State Government which is requisitioned according to the vacancies. Recommendations received from Commission shall be valid for only one year.

12. Medical Examination :-

Each candidate chosen for appointment shall have to appear before the medical board constituted by the state government. The candidate who won't be able to satisfy the board about the required physical capacity needed to fulfill the official duties will not be appointed. The medical board itself will fix objective criteria for this.

CHAPTER – 4

Seniority and Training

13. Seniority :-

The mutual seniority of the members appointed through the direct recruitment by the commission will be fixed according to the recommended merit list of the commission.

14. Training :-

The members of this service may be sent in the state, outside the state or to foreign countries for period fixed by the state government for training. The assessment done at the conclusion of the training may be kept in view by the Departmental Promotion Committee.

CHAPTER – 5

Probation and Confirmation

15. Probationary Period :-

(a) The service of two years from the date of assuming office will be treated as probationary period for any officer appointed against a original vacancy.

(b) The appointment of an officer recruited for this service may be terminated during the probationary period or at the time of its completion, if the conduct of the officer is not satisfactory during the probationary period or if otherwise found not qualified for permanent appointment to this service.

16. Confirmation :-

a) The new officer appointed on probation may be confirmed after the satisfactory conclusion of probationary period and otherwise thought fit for confirmation and passing in the departmental examination prescribed for Bihar Engineering Service (gazetted officers).

b) Newly appointed officer on passing the departmental examination would be entitled for first annual increment and would get subsequent increment henceforth.

CHAPTER – 6

Pay Scale and Increment

17. Pay-Scale :

a) Assistant Electronic Engineer:
Pay Scale - Rs. 6500 – 10,500 /=

b) Electronic Engineer
Pay Scale – Rs. 10,000 – 15200 /=

The state government will announce the pay scale of different grades of Bihar Information Electronic Engineer's service or similar revised pay scales from time to time.

CHAPTER – 7

Promotion

18. Promotion for other all grades except basic grade shall be considered on the recommendation of Departmental Promotion Committee.

Departmental Promotion Committee would as follows:

(a) Member, Revenue Board - Chairman

(b) Principal Secretary / Secretary
Personnel and Administrative Reform Department - Member

(c) Principal Secretary / Secretary

	Information and Public Relations Department	-	Member
(d)	Principal Secretary / Secretary Mines and Geology Department	-	Member
(e)	An officer from SC/ ST not below the grade of Deputy Secretary nominated by the Personnel and Administrative Reform Department	-	Member

CHAPTER – 8

General

19. Contract related to place of work :-

The members of this service may be deputed for work to any department under the state government at any place inside or outside Bihar.

20. Other Service Conditions :-

a. The Other service conditions such as disciplinary action, leave, pension benefits etc, which are not covered by this or which are not notified exclusively for this service, will be controlled by the Bihar Government Servant (classification, control and appeal) Rules 2005, Bihar Service Code and other rules, orders and circulars issued from time to time by the State Government.

21. The state government will have the power to make amendments in the provisions mentioned in these rules as and when required. Controlling Department in order to implement the provisions of this rule will be able to make regulations for the rule as mentioned in the provisions of the rule.

22. Cancellation and Revocation :-

(a) From the date this Rule comes into effect, Bihar State Information Electronic Engineering Service related appointments, promotion related circular/instructions will stand cancelled.

(b) Inspite of such cancellation in case of any previous work done or action taken related to appointment / promotion using the powers given by such circulars /instructions, then it will be considered that the rule was already in place on the date on which such work was done or such action was taken.

(c) All those persons who have been appointed or are working at different levels in the Bihar Information Electronic Engineering Services even before this rule came into effect, as defined in rule 17 will automatically be included in this service and will be considered appointed under this rule.

23. The concurrence of Empowered Committee, Finance Department, Law Department and approval of Cabinet has been obtained in Bihar Information Electronic Engineering Service Rules 2009.

Schedule – I

Eligibility for recruitment to the basic grade of Bihar Information Electronic Engineering Service –

Degree in Electronic Engineering or equivalent / Degree In Electronics and Telecommunication Engineering / Degree in Computer Engineering from any recognized university.

Schedule – II

Structure of Posts

a) Assistant Electronic Engineer:
Pay Scale - Rs. 6500 – 10,500 /=
No. of Posts – 2 (Permanent) Bhagalpur and Muzaffarpur
_ 1 (Temporary) Muzaffarpur

b) Electronic Engineer
Pay Scale – Rs. 10,000 – 15200 /=
No. of Post – 1 (Headquarter)

By the order of Governor

(Rajesh Bhushan)
Secretary to the Government,
Information And Public Relations
Department, Bihar, Patna